स्काउटिंग शुल्क

संख्या 9/2383/15-107 (5)/75

प्रेषक,

शशिभूषण शरण
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उ० प्र० लखनऊ/इलाहाबाद ।

शिक्षा (9) अनुभाग । दिनांक, लखनऊ 13 अगस्त, 1975

विषय—प्रदेश के समस्त स्कूलों में कक्षा 6, 7 तथा 8 में स्काउटिंग तथा गाइडिंग योजना को अनिवार्य करना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्काउटिंग तथा गाइडिंग योजना की उपयोगिता तथा उपादेयता को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय किया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 1975-76 से स्काउटिंग तथा गाइडिंग के प्रशिक्षण को प्रदेश के समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों अरबी, मदरसे तथा संस्कृत पाठशालाओं को छोड़कर) के कक्षा 6, 7 तथा 8 के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य किया जाय । आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें ।

2—शासन नें यह भी निर्णय लिया है कि उक्त योजना को लागू किये जाने हेतु कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों से 25 पैसे प्रति छात्र प्रतिमास स्काउटिंग तथा गाइडिंग शुल्क अनिवार्य रूप से लिया जाय । बालचर कोष का आडिट भी अन्य छात्र निधियों की भाँति ही होगा । इस कोष के नियन्त्रण, उपयोग तथा लेखे-जोखे के विवरण आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप रेखा तैयार करके आवश्यक आदेश जारी करें ताकि इसके उपयोग में कोई अनियमिततायें अथवा गड़बड़ी होने की सम्भावना न रहे ।

जहां तक स्काउट्स तथा गाइड्स की वर्दी का प्रश्न है, इसको विद्यार्थियों को अपने लिये स्वयं बनवाना होगा । इसके अलावा बालचर योजना के अन्तर्गत कुछ और सामान भी प्रत्येक विद्यार्थियों को रखना होता है जैसे स्कार्फ, बिगुल, बैज, बेल्ट तथा टोपी आदि । इन वस्तुओं का क्रम उक्त बालचर कोष से किया जाय । निर्बल वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को बर्दी बनवाने के लिये जोर देना उचित न होगा, अतः उनकी वर्दी के आवश्यक भाग का क्रय भी इसी कोष से होगा । इन वस्तुओं का क्रय किसके द्वारा किस प्रकार होगा, इनके रख रखाव की क्या व्यवस्था होगी, आदि के बारे में निश्चित प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु तुरन्त भेंजे ।

4—बालचर शिविरों तथा बालचरी कार्यक्रमों की रैली का आयोजन जिला मण्डलीय तथा प्रदेशीय स्तर पर उसी प्रकार किया जायगा जैसे इस समय जिला मण्डलीय तथा प्रदेशीय स्तर पर युवक समारोहों का आयोजन किया जा रहा है । इन शिवरों तथा रैलियों पर होने वाला व्यय बालचर कोष से वहन होगा ।

5— कितने प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं, कितनों को प्रशिक्षण देना होगा और उस पर कितना व्यय होगा। यह भी शासन को सूचनार्थ भेजें । केन्द्रीय शासन से इस प्रशिक्षण में किस प्रकार सहायता ली जा सकती है, इसका भी अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करें जिससे केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सके ।

6—मुझे यह भी कहना है कि प्रत्येक अध्यापक का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के विद्यार्थियों को स्काउटिंग/गाइडिंग की ट्रेनिंग दें । जैसा कि उपर्युक्त अनुच्छेदों में अंकित किया गया है । इस योजना के समस्त व्यय विद्यार्थियों से वसूल की गई फीस से वहन किया जायगा और शासन द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा । उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त किसी भी दशा में कोई अन्य शुल्क इस कार्य के लिये नहीं लिया जायेगा ।

7—उपर्युक्त योजना को वर्तमान शैक्षिक सत्र से तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये आप आवश्यक आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी कर दें तथा जारी किये गये आदेशों की एक प्रति शासन के सूचनार्थ भेजने की कृपा करें । यदि इन आदेशों को कार्यान्वित किये जाने हेतु शासन से कोई और आदेश आपेक्षित हों तो प्रस्ताव को तत्काल भेजें ।

भवदीय

ह० शशिभूषण शरण

आयुक्त एवं सचिव